



दिनांक 26.07.2017
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

स्वच्छ भारत अभियान

भिलाईनगर/ निगम के भवन अनुज्ञा शाखा की टीम द्वारा शहर के बड़े होटल एवं व्यवसायिक परिसर में बने बेसमेंट की जांच कार्यवाही के दुसरे दिन आकाश गंगा सुपेला के एक होटल तथा दो व्यवसायिक भवन के बेसमेंट को पार्किंग उपयोग नहीं करते पाये जाने पर सील बंद किया गया। 6 भवनों के सामने खड़े वाहनों को रोड से हटाकर बेसमेंट में खड़े करवाया गया।

जिलाधीश उमेश अग्रवाल तथा आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम की टीम ने बुधवार को बेसमेंट जांच की कार्यवाही के दुसरे दिन सुपेला आकाश गंगा में लम्बे समय से चल रहे अभिनंदन होटल को आज चालु हालत में किचन में रखे गीले खाद्य सामग्री को हटाकर सील बंद किया गया। इसके पूर्व मंगलवार को निगम की जांच टीम ने होटल के संचालक को भवन के दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा गया था किन्तु उनके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई आज कार्यवाही से पूर्व होटल के मेनेजर से बेसमेंट उपयोगिता की दस्तावेज मांगे गये तो उन्होंने कागजात नहीं होने की बात कहे जाने पर निगम की टीम सील बंद की कार्यवाही किया। ओपो मोबाईल शॉप का भवन के बेसमेंट में ताला लगा पाया गया जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उसे गोडाउन के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिसे सील बंद कर दिया गया। सिंह रोडवेज का व्यवसायिक काम्प्लेक्स आकाश गंगा के बेसमेंट का उपयोग दुकानदार द्वारा गोडाउन के रूप में किया जा रहा था उसे भी सील बंद किया गया है।

भवन अनुज्ञा की टीम प्रातः 11 बजे से कार्यवाही प्रारंभ कर जीई रोड के किनारे स्थित सिम्प्लेक्स काम्प्लेक्स, चौहान स्टेट के बेसमेंट की जांच करने पर बेसमेंट खाली पाया गया तब भवन के सामने खड़े बेतरतीब वाहनों को पुलिस प्रशासन एवं निगम की टीम ने सर्विस रोड से खाली करवाकर पार्किंग में खड़े करवाया गया तथा काम्प्लेक्स के मेनेजर को समझाईस दी गई पश्चात् जांच टीम अलंकार काम्प्लेक्स के बेसमेंट को जांच करने पहुंची तो गाड़िया बेसमेंट में पार्क होने के बाद भी वाहन रोड पर खड़े किये गये थे भवन में संचालित स्टेट बैंक के मेनेजर को समझाईस दी गई कि अपने संस्थान में आने वाले ग्राहकों के वाहनों को बेसमेंट में खड़ी करने के लिए प्रेरित करें। लिंक रोड स्थित कान्तिलाल शर्मा के नवनिर्मित भवन का बेसमेंट की जांच कि गई जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था इंडियन काफी हाउस सुपेला द्वारा पार्किंग स्थल को घेरा बंदी कर रिक्त रखा गया था जिसके गेट को खुलवाकर सक्त हिदायत दी गई कि सड़क पर खड़े वाहनों के लिए पार्किंग स्थल को खुला रखें। सुराज हास्पिटल नेहरू नगर के बेसमेंट में चलाये जा रहे अस्पताल को नोटिस के बाद हटा दिया गया था जिसमें लगे बेड को हटाने के निर्देश दिया गया है।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने जीई रोड के सर्विस रोड पर अवैध रूप से पार्किंग नहीं करने की अपील करते हुए शहर के बड़े होटल एवं भवन मालिकों से कहा है कि व्यवसायिक काम्प्लेक्स में आने वाले ग्राहकों के वाहनों को भवन में बने बेसमेंट में खड़ी करवाये, तथा अपने भवन के सामने इस बात की सूचना बोर्ड भी लगाये।

कार्यवाही में दयालदास साहू, प्रतुल्ल श्रीवास्तव, सुरेश केवलानी, भाउराव वैद्य, जगमोहन वर्मा, निगम उड़नदस्ता के शरद दुबे, रामायण सिंह, रिखीराम, ट्रैफिक पुलिस के ए.एस.आई. रोमलाल साहू आरक्षक आकाश सिंह, अमित कुमार ठाकुर, जितेन्द्र, बी. मोहन राव, आदि उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी

